

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्हा उपखण्ड अहमदनगर मुकाम वाघ (फकीरवाडी)  
 तालुका पल्लो अहमदनगर बनाव राजेंद्र रावकर  
 फर्द नं. 131/2024 सन 2024

श्रेणी 05/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जारिये वकील अन्तर्गत धारा 141/26 सल्लमवाल लेण्ड रेग्युलेशन के तहत पेश किया जो दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी को पेश किया गया कि जावे। मिस्टर राजेंद्र रावकर का।  
जुम खण्ड अधिकारी  
वाघ (जि फकीरवाडी)

27/06/2024 आज धारा 141/26 ए.एम./एस.डी.एम. साहय को अहमदनगर पर हैं। पेशी इल्लवा की जाकर पत्रावली तारीख 05/10/24 को पेश हो।

05/08/2024 आज श्रीमान् ए.सी.एम./एस.डी.एम. साहय को अहमदनगर पर हैं। पेशी इल्लवा की जाकर पत्रावली तारीख 14/10/24 को पेश हो।

14/10/2024 21/10/24

21/10/24 पत्रावली आज मिस्टर तलबी एवं वीर सुनवार के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी के तामिलबुद्धा नोटिस प्राप्त, जिन्हे शामिल मिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 4 तथा 6 ता 8 की ओर से वकील श्री मोहम्मद रफीक ने अपने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 3, 5, 9 ता 15 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक्स्प्रेसिव कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोचर सरकार तस्वीलदार वाघ का जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ, जिसे शामिल मिस्टर

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष  
बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार  
पर प्राचीन का जर्नल-पत्र स्वीकार योग्य होने  
से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ  
से लिखवाया जाकर शामिल मिला है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर  
सम्मिल शामिल इफतर है।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मौरा

लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



21/10/24

सत्र खण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)